राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

आबकारी अपील संख्या – 2060/2014/जैसलमेर

शैतान सिंह पुत्र श्री सवाईसिंह राजपूत,
निवासी–पिथला, जैसलमेर। अपीलार्थी.

बनाम्

आबकारी आयुक्त, उदयपुर।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर।
जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर। .....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्रीमति आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव,
अधिवक्ता। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03.02.2015

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के आदेश **क्रमांक प.29(बी)(19)अपील/पी.एस/वाहन/आब/2014/4228/ 07.11.2014 निर्णय दिनांक 03.11.2014**के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (जिसे आगे "आबकारी अधिनियम" के नाम से संबोधित किया जायेगा) की धारा 9 ए (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.04.2014 को वाहन आर्मी डिस्पोस्ल जीप (Army Disposal Jeep) जिसका पंजीकरण क्रमांक आर.जे. 19–सी–1971 है, में 25 कार्टनों में "बीयर" (For sale in Rajasthan) को अवैध रूप से परिवहन करने के कारण थानाधिकारी, पुलिस थाना–खुहड़ी, जिला–जैसलमेर द्वारा पकड़ा उक्त "बीयर" को कब्जे में लेकर उक्त वाहन को मदिरा के अवैध परिवहन में प्रयुक्त किये जाने के अपराध में अधिनियम की धारा 54(क) के अन्तर्गत अभिग्रहित किया जाकर अधिनियम की धारा 19/54 के अन्तर्गत प्रकरण को क्रम संख्या 24 दिनांक 30.04.2014 पर दर्ज कर, वाहन को जब्त किया गया ।

अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 69(4) के प्रावधानानुसार अधिहरित वाहन को छुड़ाने के लिये अतिरिक्त आयुक्त, जोन–जोधुपर (जिसे आगे

लगातार.....2

"अतिरिक्त आयुक्त" कहा जायेगा) के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जरिये **आदेश क्रमांक प.(43)अ.आ. आ/वाहन/2014–2015/1572 दिनांक 07.10.2014** वाहन पर अधिहरण से मुक्ति के विकल्प स्वरूप जुर्माना राशि रू.1,20,000/– जमा करवाने जाने की शर्त पर वाहन सुपुर्द करने का विकल्प अपीलार्थी को प्रदान किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त के ऊपर वर्णित आदेश दिनांक 07.10.2014 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अधिनियम की धरा 9(ए)(4) के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, विवादित मांग राशि की 75 प्रतिशत जमा राशि जमा करवाये जाने के अभाव में प्रस्तुत अपील को ग्रहण योग्य नहीं होना अवधारित कर, जरिये आदेश दिनांक 03.11.2014 के अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 के विरूद्ध यह अपील ग्रहण योग्य होने अथवा नहीं होने के बिन्दु पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हुयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को अविधिक होने का कथन किया गया। कथन किया कि आयुक्त, द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है दिनांक 30.04.2014 को आर.एस.बी.सी.एल डिपो जैसलमेर से 25 पेटी बीयर व 1 पेटी विदेश मदिरा भा.नि.वि.म. ब्लैंडर प्राईटइ जारी करवाई गई। इनवाईस में पहले वाहन संख्या आर.जे.15 जी.ए 0324 लिखवाया गया, जिसे बाद मे मदिरा लोड करवाते समय वाहन संख्या आर.जे.–19 सी–1971 संशोधित करवाकर डिपो मैनेजर से अंकित करवाया गया। इन्वाईस पर समय 7.41 पी.एम. अंकित है। गेट पास पर वाहन संख्या आर.जे. 1971 अंकित है। कथन किया कि उक्त सरकारी शराब दुकान की शराब व बीयर का वैधानिक ट्रांसपोर्ट पास से शराब दुकान विजयनगर भू के लिये **ड्राईवर रूप सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी बरणा** सांय तीन बजे आर. एस.बी.सी.एल गोदाम जैसलमेर से रवाना हुआ। जैसलमेर से विजयनगर पहुँचने मे लगभग 40 मिनट लगे। शराब दुकान बंद होने से ड्राईवर **रूप सिह** वाहन को अपने घर बरणा के लिये रवाना हो गया। एस.एच.ओ खुहडी द्वारा उक्त वाहन व सरकारी शराब व बीयर को अधिनियम 1950 की धारा 19/54 के अन्तर्गत्त आर.एस.बी.सी.एल जैसलमेर के इन्वाईस व गेट पास होने के बावजूद अवैधानिक रूप से जब्त कर लिया गया। जबकि अधिनयिम

लगातार.....3

1950 की धारा 12 एवम् धारा 15 की अनुज्ञाधारी द्वारा व वाहन चालक द्वारा पूर्णतः पालना की गई थी।

अग्रिम अभिवाक् किया कि थानेदार खुहडी को यह भी ज्ञान नहीं है कि आर.एस.बी.सी.एल द्वारा जारी इन्वाईस ही आबकारी परमिट के समकक्ष है। विशिष्टि रूप से तर्क दिया कि थानेदार खुरडी द्वारा सिर्फ 25 बीयर का ही प्रकरण दर्ज किया, जबकि थानेदार खुहडी द्वारा जारी अन्तिम रिपोर्ट में उल्लेखित आरोप पत्र सं. 15 दिनांक **30.05.2014** में ,आर.एस.बी.सी.एल जैसलमेर द्वारा जारी ट्रांसपोर्ट पास व गेट पस में कुल 26 पेटी का उल्लेख/अंकित है। इस संबंध में कथन किया कि **एक पेटी ब्लैंडर प्राईट विहस्की को सरकारी मालखाने मे जमा नही करना प्रकरण मे जब्त नही दिखाना** पूर्णतः अविधिक एवम् विधिक प्रावधानों के विपरीत है। कथन किया कि उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति जो कि रिकॉर्ड पर दस्तावेज से प्रमाणित है, को आबकारी आयुक्त द्वारा नजरअंदाज/अनदेखी कर, पारित आदेश में 25 पेटी बीयर (for sale in Rajasthan only) को अवैध रूप से परिवहन किये जाने का ही उल्लेख किया गया है जो अविधिक एवम् अनुचित है ।

अग्रिम अभिवाक् किया कि आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा कायम राशि को कम करने के स्थान पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अधिनियम की धारा 9(ए)(4) के विशिष्टि प्रावधानों के आलोक में, विवादित राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के अभाव में, प्रस्तुत अपील को ग्रहण योग्य नहीं होना अवधारित कर, आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। विशिष्टि रूप से कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.11.2014 को रू.90,000/– राजकोष में जमा करवायी जाकर, उक्त अपील प्रस्तुत कर, वसूली योग्य राशि पर स्थगन प्रदान करने की प्रदान करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर कथन किया कि अधिनियम की धारा 9(ए)(1) में यह स्पष्ट प्रावधाति है कि **धारा 9(ए)(1) के प्रावधान बाध्यकारी है तथा उक्त धारा के तहत अपील सुनवायी के लिये निर्धारित न्यूनतम मांग राशि जमा करवाने की बाध्यता वैध एवं संवैधानिक है ।** अतः उक्त विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं उचित होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।

लगातार.....4

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अधिनियम की धारा **धारा 9(ए)(1)** के प्रावधानों का अध्ययन किया गया । अधिनियम की धारा **धारा 9(ए)(1)** के प्रावधान इस प्रकार हैं:—

9-A. Appeals and Revision.- (1) An appeal shall lie-

(a) to the Excise Commissioner from any order passed by an Excise Officer under this Act, and

(b) to the Division Bench of the Board of Revenue established under the provisions of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (RajasthanAct 15 of 1956) from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal:

Provided that no appeal shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of payment of 75% of the amount of the demand created by the order appealed against.

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी की अपील ग्रहण करने के लिये में मांग राशि का 75 प्रतिशत जमा कराना बाध्यकारी है। जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो राशि जमा करवायी गयी है वह दिनांक 21.11.2014 को जमा करवायी गयी है जबकि आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 03.11.2014 को पारित किया गया है। अतः यह पूर्णतः विदित है कि अपीलार्थी द्वारा वांच्छित जमा राशि रू.90,000/— आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात् राजकोष में जमा करवायी गयी है, जबकि उक्त राशि अपील प्रस्तुतिकरण के समय जमा होना बाध्यकारी है। अतः इस संबंध में अधिनियम में विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, आवश्यक जमा राशि 75 प्रतिशत (विवादित मांग राशि का) जमा नहीं कराये जाने के कारण, आयुक्त अपील ग्रहण करने योग्य नहीं होने के संबंध में अवधारित निष्कर्ष विधिक एवम् उचित है । अतः अधोहस्ताक्षरी की पीठ गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष अवधारित किये बिना ही प्रस्तुत अपील को ग्रहण योग्य नहीं होना अवधारित कर, आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2014 के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया।

03.02.2015

(आशा कुमारी)
सदस्य

3.2.2015

(मदन लाल)
सदस्य